



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072026-274338
CG-DL-E-10072026-274338

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2026/आषाढ 17, 1948

No. 539]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2026/ASHADHA 17, 1948

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 597(अ) .—कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा यथा अपेक्षित, कीटनाशी नियम, 1971 के प्ररूप नियमों का और संशोधन करने के लिए, जिसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 855(अ), तारीख 18 नवंबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 19 नवंबर, 2025 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, से तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 19 नवंबर, 2025 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्ररूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार कीटनाशी नियम, 1971 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी तृतीय (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 4 में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को आयात परमिट प्रदान करना जो किसी कीटनाशी को गैर-कीटनाशी उपयोग के लिए आयात करने का इच्छुक हो।"

3. उक्त नियमों में, अध्याय 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अध्याय 3 क

गैर-कीटनाशी प्रयोजन के लिए कीटनाशी के आयात की रीति

8क. आयात की रीति.— (1) किसी कीटनाशी के गैर-कीटनाशी प्रयोजन के लिए आयात हेतु पंजीकरण समिति को प्ररूप I क में आवेदन किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन के साथ मात्र पांच हजार रुपये की फीस संलग्न होगी।

(3) पंजीकरण समिति के पास आवेदक द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करने के लिए जांच करने की शक्ति होगी।

(4) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पर पंजीकरण समिति द्वारा अधिमानतः पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर विचार किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा, जिसे आगे अधिकतम पंद्रह दिन की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

(5) उप-नियम (4) के अधीन प्रदत्त आयात परमिट एक वर्ष के लिए वैध होगा।

(6) यदि आवेदक के पास उस कीटनाशी के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र है जिसके लिए आयातित माल को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाना आशयित है, तो आयात परमिट तीन वर्ष के लिए वैध होगा।"

4. उक्त नियमों में, "पहली अनुसूची" में, "प्ररूप I" के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप I क

गैर-कीटनाशी उपयोग के लिए कीटनाशियों के आयात हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए आवेदन

[नियम 4(ग) देखिए]

1. आवेदक का नाम, पूर्ण पते सहित:

2. परिसर का पता, जहां आयातित कीटनाशी का भंडारण या उपयोग किया जाएगा:

3. आयात किए जाने हेतु प्रस्तावित कीटनाशी का नाम, न्यूनतम शुद्धता सहित:

4. आयात का स्रोत, पूर्ण पते सहित:

5. (i) आयातित कीटनाशी का उपयोग करके विनिर्मित की जा रही वस्तु का नाम:

(ii) विनिर्मित की जाने वाली प्रस्तावित वस्तु की अनुज्ञप्त क्षमता:

(iii) विनिर्मित की जाने वाली प्रस्तावित वस्तु की अनुज्ञप्त क्षमता:

(iv) वस्तु के विनिर्माण की प्रक्रिया में कीटनाशी का कार्य और अपेक्षित प्रतिशत:

6. आयात किए जाने हेतु प्रस्तावित कीटनाशी की वार्षिक मात्रा (मीट्रिक टन में):

7. वैध औद्योगिक अनुज्ञप्ति/अनुमोदन की प्रति (कारखाना अनुज्ञप्ति की प्रति संलग्न करें) /औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.)/राज्य उद्योग निदेशक प्रमाणित/जिला उद्योग केंद्र का प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें

[स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें (यदि अंग्रेजी भाषा में न हो, तो अंग्रेजी संस्करण सहित)- कृपया उपाबंध-I के रूप में संलग्न करें]

8. क्या-

(क) चालू वर्ष के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पी.सी.बी.) से मंजूरी या सहमति प्राप्त की गई:

(ख) यदि नहीं, तो क्या चालू वर्ष के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है:

(आवेदक द्वारा दिए गए पते पर विनिर्माण सुविधा के अस्तित्व हेतु विधिक स्व-प्रमाणित दस्तावेज़ संलग्न करें। कृपया **उपाबंध-2** के रूप में संलग्न करें)

9. विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित एवं उपभोग की गई कीटनाशी की स्व-प्रमाणित वर्षवार मात्रा, संगत अंतिम उत्पाद के उत्पादन सहित।

[कृपया क्रम संख्या 13 पर दिए गए प्रोफार्मा को स्व-प्रमाणित रूप से विधिवत भरकर **उपाबंध-3** के रूप में संलग्न करें]

10. प्रथम बार आवेदन के पश्चात् अनुरोधित मात्रा के लिए औचित्य सहित स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र तथा पंजीकरण समिति के निर्णयानुसार दावे का सत्यापन।

11. (क) क्या आयातित सामग्री घरेलू उपभोग, निर्यात या दोनों के लिए है:

(ख) यदि घरेलू उपभोग के लिए है तो संबंधित औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यालय द्वारा प्रमाणित घोषणा कि विषाक्तता से बचने के लिए आयातित कीटनाशी को अन्य सभी सामग्री से अलग क्षेत्र में भंडारित किया जाएगा।

(ग) यदि निर्यात के लिए है तो उस विदेशी क्रेता का नाम और पता जिसे तैयार उत्पाद निर्यात किया जाना है, अग्रिम लाइसेंस की प्रति संलग्न करते हुए, यदि लागू है।

12. यदि आयातित मात्रा (क्रम संख्या 9) और विगत तीन वर्षों के औसत उपभोग (उपाबंध-3) के बीच अंतर 30 प्रतिशत से अधिक है तो नई मात्रा के आयात के लिए नोडल मंत्रालय/विभाग/राज्य उद्योग विभाग का विस्तृत याथोचित्य अपेक्षित है।

13. क्रय और उपभोग का विवरण:

वर्ष (वित्तीय)	कीटनाशी की मात्रा (मीट्रिक टन में)		संगत अंतिम उत्पाद
	आयातित	उपभोग की गई	
(1)	(2)	(3)	(4)
कुल मात्रा			
विगत तीन वर्षों का औसत उपभोग			

स्थान:

तारीख:

मुहर सहित आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं पुत्री/पुत्र की हैसियत से, एतद्वारा शपथपूर्वक सत्यापित करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ और आवेदन तथा इसके साथ संलग्न उपाबंध(उपाबंधों) एवं विवरणों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है। मैं आगे यह वचन देता/देती हूँ कि आयातित सामग्री बिक्री के लिए नहीं बल्कि इस आवेदन में उल्लिखित हमारी अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए है। मैं स्पष्ट रूप से समझता/समझती हूँ कि किसी भी जानकारी, या उसके किसी भाग के गलत पाए जाने की स्थिति में, आयात परमिट को बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा और समस्त हानि/उत्तरदायित्व हमारा होगा।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर मुहर सहित

टिप्पणियां:

- (1) इस आवेदन में जहां कहीं भी संकेत दिया गया हो, वहां प्रत्येक दस्तावेज़ की प्रति संलग्न करें।
- (2) सूचना 'शून्य' या 'लागू नहीं' होने पर भी प्रत्येक स्तंभ भरें।
- (3) सूचना 'शून्य' होने पर भी सभी संगत उपाबंध संलग्न करें।
- (4) ऑनलाइन पोर्टल पर सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्ररूप प्राप्त होने से अधिमानतः 30 दिन (पंजीकरण समिति की बैठक के अनुसार 4-6 सप्ताह) में समयबद्ध रीति से कार्रवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।
- (5) अपूर्ण आवेदन बिना पूर्व सूचना के अस्वीकृत किए जाने के लिए दायी होगा।
- (6) कीटनाशियों/जीव-मारक के प्रमाणित संदर्भ पदार्थ या संदर्भ मानकों के 5 ग्राम या उससे कम मात्रा के यूनिट पैकों के आयात के लिए आयात परमिट अपेक्षित नहीं है।"

[फा. सं. 13035/11/2019-पीपी-1]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 1650(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 493(अ), तारीख 18 जून, 2026 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2026

G.S.R. 597(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) number G.S.R. 855 (E), dated the 18th November, 2025, and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 19th November, 2025, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 19th day of November, 2025;

And whereas, objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:-

1. **Short title and Commencement.**- (1) These rules may be called the Insecticides Third (Amendment) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) grant import permit to any person desirous to import an insecticide for non-insecticidal use.”.

3. In the said rules, after Chapter III, the following Chapter shall be inserted, namely:-

“Chapter III A

MANNER OF IMPORT OF AN INSECTICIDE FOR NON-INSECTICIDAL PURPOSE

8A. Manner of import.- (1) An application for import of an insecticide for non-insecticidal purpose shall be made to the Registration Committee in Form IA.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee of rupees five thousand only.

(3) The Registration Committee shall have the power to conduct an enquiry to verify the information furnished by the applicant.

(4) An application which is complete in all respect shall be considered and disposed by the Registration Committee preferably within a period of forty-five days which may further extend to a period not later than fifteen days.

(5) The import permit granted under sub-rule (4) shall be valid for one year.

(6) If an applicant holds a certificate of registration for the pesticide for which the imported goods are intended to be used as raw material, the import permit shall be valid for three years.”.

4. In the said rules, in “THE FIRST SCHEDULE”, after “FORM I, the following FORM shall be inserted, namely:

“FORM IA

APPLICATION FOR GRANT OF PERMISSION FOR IMPORT OF INSECTICIDES FOR NON-INSECTICIDAL USE

[see rule 4(c)]

1. Name of the applicant along with complete address:.....

2. Address of premises, where the imported insecticide shall be stocked or used:

3. Name of the insecticide proposed to be imported along with the minimum purity:

4. Source of import with complete address:

5. (i) Name of the Item being manufactured using the imported insecticide:

(ii) Licensed Capacity of item proposed to be manufactured:

(iii) Installed Capacity of item proposed to be manufactured:

(iv) Function of the insecticide in the process of manufacture of the item and the percent required:

6. Annual quantity (in MT) of the insecticide proposed to be imported:

7. Copy of valid industrial license / approval (enclosed a copy of factory license) / Industrial Entrepreneur Memorandum (IEM) issued by Department of Industrial Policy and Promotion / State Director of Industry certificated / District Industry Centre)

[Attach self-certified copy (along with English Version, If not in English Language)- Please attach as **Annexure-I**]

8. Whether-

(a) Clearance or consent from Pollution Control Board (PCB) for the current year:.....

(b) If no, whether renewal has been applied for current year:

(Attach legal self-certified document for existence of manufacturing facility at the address provided by applicant. Please attach as **Annexure-II**)

9. Self-Certified Year-wise quantity of the insecticide imported and consumed during the last three years along with corresponding production of end- product.

[Please attach self-certified duly filled Proforma provided at S. No. 13 as **Annexure III**]

10. Self-Certified affidavit for the quantity requested with justification for first time application thereafter, verification of the claim as per Registration Committee decision.

11. (a) Whether the imported material is for Domestic consumption or export or both:

(b) If for domestic consumption then declaration certified by jurisdictional Industrial Health and Safety Office that the imported insecticide shall be stored in a separate area away from all other material to avoid poisoning.

(c) If for export, name and address of foreign buyer to whom the finished product is to be exported, enclosing a copy of the advance license, if applicable.

12. In case, the difference between quantity imported (S.No.9) and average consumption during last three years (Annexure-III) is more than 30 percent, detailed justification of the Nodal Ministry/ Department/State Department of Industry is required to import fresh quantity.

13. Details of purchase and consumption:

<i>Year (Financial)</i>	<i>Quantity of the Insecticide (in MT)</i>		<i>Corresponding Final Product</i>
	<i>Imported</i>	<i>Consumed</i>	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
<i>Total Quantity</i>			
<i>Average consumption of last three years</i>			

Place :

Date:

Signature of the applicant

with seal

Verification

I..... D/o or S/oin my capacity asdo hereby solemnly verify that I am competent to make this application and that the information given in the application and the annexure(s) and statements, accompanying it, are correct and complete. I further undertake that imported material is not for sale but for use as per our own requirement as stated in this application. I clearly understand that in the event of any information, or part thereof, being found incorrect, the import permit shall be liable to be cancelled without any notice and the whole losses/responsibility shall be ours.

\Place :

Date:

Signature of the applicant

with seal

Notes:

- (1) Attach copy of each document, wherever indicated in this application.
- (2) Fill up each column even if the information is 'Nil' or 'Not Applicable'.
- (3) Attach all relevant Annexure even if the information is 'Nil'.
- (4) Application shall be processed and decided in a time bound manner preferably in 30 days (4-6 weeks as per Registration Committee meeting) from the receipt of complete application form in all respect on online portal.
- (5) Incomplete application is liable to be rejected, without prior notice.
- (6) For import of unit packs of 5 gm or less quantity of Certified Reference Material or Reference Standards of insecticides/pesticides, import permit is not required."

[F. No. 13035/11/2019-PP-I]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and was last amended *vide* G.S.R 493 (E), dated the 18th June, 2026.